न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 185/2020 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2020/199

1. राजेन्द्र पुत्र कुशलाराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी चक 24 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. सुभाष पुत्र कुशलाराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी चक 24 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. गणेशाराम पुत्र बृजलाल पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी चक 24 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजा पुत्र बृजलाल पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी चक 24 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. सुन्दरलाल पुत्र देवीलाल कुशलाराम जाति जाट निवासी चक 24 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. देवाराम पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी चक 24 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान।
2. कृष्णलाल पुत्र धर्मदास जाति जाट निवासी चक 24 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री करण सिंह तंवर — अभिभाषक अपीलांट
श्री राजेश बैद — अभिभाषक रेस्पोडेंट सं.2

निर्णय

दिनांक 19.09.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 20.11.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

संभागीय आयुक्त बीकानेर

निर्णय

दिनांक 01.11.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर के आदेश दिनांक 22.01.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1— वादग्रस्त भूमि चक 5 के.एल.डी के मु.न. 236/30 के किला नं. 1 ता 10 तादादी 9.16 बीघा मोबूराम पुत्र मेघाराम जाति जाट को आवंटन थी, व चक 5 के.एल.डी के मु.नं. 236/30 के किला नं. 11 ता 18 व 23 ता 25 में तादादी 10.18 बीघा भूमि पेमाराम पुत्र मोबूराम के नाम खातेदारी थी। मोबूराम की मृत्यु होने के बाद मु.नं. 260/30 के किला नं. 1 ता 10 तादादी 9.16 बीघा भूमि स्व. मोबूराम के सभी वारिशों के नाम दर्ज की गई। मोबूराम पुत्र मेघाराम के वारिशान ने अपना हिस्सा व हक जरिये रिलीज डीड पेमाराम पुत्र मोबूराम के नाम कर दिया। इस प्रकार पेमाराम कुल तादादी 20.14 बीघा पर काबिज काश्तकार एवं खातेदार था। पेमाराम पुत्र मोबूराम ने उक्त कुल भूमि 20.14 बीघा की वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कर दी। इस वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के लिए तहसीलदार खाजूवाला के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार खाजूवाला ने दिनांक 24.03.2015 को आदेश दिया कि चक 5 के.एल.डी के मु.नं. 236/30 के किला नं. 11 ता 18 व 23 ता 25 में तादादी 10.18 बीघा भूमि का नामान्तरण वसीयत के आधार पर व चक 5 के.एल.डी के मु.न. 236/30 के किला नं. 1 ता 10 तादादी 9.16 बीघा भूमि का नामान्तरण विरास्तन अनुसार नामान्तरण दर्ज किया जाए। तहसीलदार खाजूवाला के आदेश दिनांक 24.03.2015 की पालना में इंतकाल नम्बर 163 दर्ज किया गया। रेस्पोंडन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार खाजूवाला के इंतकाल संख्या 163 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के समक्ष प्रस्तुत कि गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने निर्णय दिनांक 11.08.2016 में इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि दोनों पक्षों की समुचित सुनवाई कर एवं वारिसान की जांच कर नियमानुसार विधिसम्मत् निर्णय करें। रेस्पोंडन्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 11.08.2016 के रहते हुए तहसीलदार खाजूवाला के आदेश दिनांक 24.03.2015 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। न्यायालय जिला कलक्टर ने निर्णय दिनांक 22.01.2018 में अपील स्वीकार कर तहसीलदार खाजूवाला के आदेश दिनांक 24.03.2015 को एवं

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

इसकी पालना में की गई कार्यवाही को निरस्त कर दिया। तहसीलदार खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि संबंधित पक्षकार को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित करें। न्यायालय जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 22.01.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री राजेश कुमार व्यास ने अपनी बहस के दौरान एवं लिखित बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.01.2016 पूर्णतया एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला ने अपने निर्णय दिनांक 11.08.2016में वारिसान की जांच कर नियमानुसार इंतकाल की कार्यवाही करने के आदेश दिये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने जिला कलक्टर के समक्ष की गई अपील में हितबंद्ध तमाम पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया और न ही अपने आप को पेमाराम के दत्तक पुत्र होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला ने दिनांक 11.06.2016 को पारित आदेश में पत्रावली पुनः रिमाण्ड कर दी गई और समुचित सुनवाई कर वारिसान की जांच कर निर्णय करने के आदेश दिये इस बिन्दु को भी रेस्पोडेंट सं. 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष छुपाया है। अपीलाधीन आदेश में मोबूराम के कायम मुकाम कानूनी वारिसान भी पक्षकार है और उनकी तामील होनी शेष है उनकी तामील के बिना हितबद्ध पक्षकार की पूर्ण रूप से इस स्टेज पर नहीं की जा सकती और न ही हितबद्ध पक्षकरों की उपस्थिति के अभाव में किसी भी प्रकार के निर्णय पारित करने में विवाद एवं न्यायिक प्रक्रिया बढने की आशंका बनी रहेगी इस प्रकार सभी हितबद्ध पक्षकारों का तामील करवाकर ही अपील का निस्तारण किया जा सकता है जिससे की प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धोंतों की पूर्ण पालना हो सके। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.01.2018 निरस्त कर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री राजेश बैद ने बहस के दौरान एवं लिखित बहस में कथन किया कि अपीलांट अपने दादा मोबूराम पुत्र मेघाराम से प्राप्त तथाकथित जिस हक व हिस्से के लिये अपील प्रस्तुत की है उस हक व हिस्से को अपीलांट के पिता श्री दानाराम पुत्र मेघाराम ने दिनांक 03.06.1998 को ही अपने भाई, वसीयतकर्ता (स्व. पेमाराम) के हक में रिलीज कर दिया तथा रिलीज डीड रजिस्टर्ड करवा दी जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड मे नामान्तरण संख्या

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

76 दिनांक 21.06.1998 को दर्ज हो चुका है। इस प्रकार वादगत भूमि जो स्व. मोबूराम के नाम कि थी उसमें अपीलांट का कोई हक व हिस्सा रहा ही नहीं तो उपरोक्त अनुवानी अपील प्रस्तुत करने का अधिकार भी नही रहा। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के आदेश दिनांक 11.08.2016 के संबंध में बताया कि उक्त समस्त कार्यवाही विधिविरूद्ध हुई थी क्योंकि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष तहसीलदार खाजूवाला के मूल आदेश दिनांक 24.03.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत ना कर नामान्तरण संख्या 163 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर दी गई। उक्त आदेश दिनांक 11.08.2016 क्षेत्राधिकार विहीन होने के कारण प्रारंभतः ही विधिविरूद्ध होने के कारण अवैद्य व प्रभावहीन है अतः अपील अपीलांट निरस्त कर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर का निर्णय दिनांक 22.01.2018 को यथावत रखा जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2018 उचित प्रतीत होता है। अतः अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बीकानेर के निर्णय दिनांक 22.01.2018 को यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर